निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**27 अग्रहायण 1937 (श0)**
**(सं0 पटना 1323) पटना, शुक्रवार, 18 दिसम्बर 2015**

वाणिज्य–कर विभाग

---

अधिसूचना
**18 दिसम्बर, 2015**

सं0 बिक्री–कर/विविध–43/2011–**7022**––बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के धारा–62 की उप–धारा (1) एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–40 की उप–नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी परिवहनकर्ता/व्यवसायी द्वारा अथवा उनकी ओर से बिहार राज्य से होकर गुजरने वाले माल के परिवहन के लिए अधिनियम के अधीन पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0 5441 दिनांक 12 जुलाई, 2012 द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में संशोधन करते हुए इस अधिसूचना की कंडिका–2.7 को निम्नवत् प्रतिस्थापित करते हैं–

''2.7 राज्य में प्रविष्टी जॉच चौकी से दाखिल होने के 24 घंटों के अंदर उक्त सम्प्रेषण को राज्य के निकासी जॉच चौकी से निकल जाना होगा एवं निकासी जॉच चौकी पर तैनात जॉच दलों को सिस्टम से यह सूचना उपलब्ध होगी कि उक्त पहचान संख्या से संबंधित वाहन/ट्रक राज्य में कब दाखिल हुआ था। 24 घंटो से अधिक की अवधि व्यतीत होने की दशा में नियमानुसार युक्तियुक्त कारणों से उक्त सम्प्रेषण को राज्य से निकासी की अनुज्ञा दी जा सकेगी।''

2. अधिसूचना संख्या 5441 दिनांक 12 जुलाई, 2012 में दिये गये निदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

3. यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1323-571+500-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**